सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग

वैश्विक राजस्थान
सशक्त राजस्थान

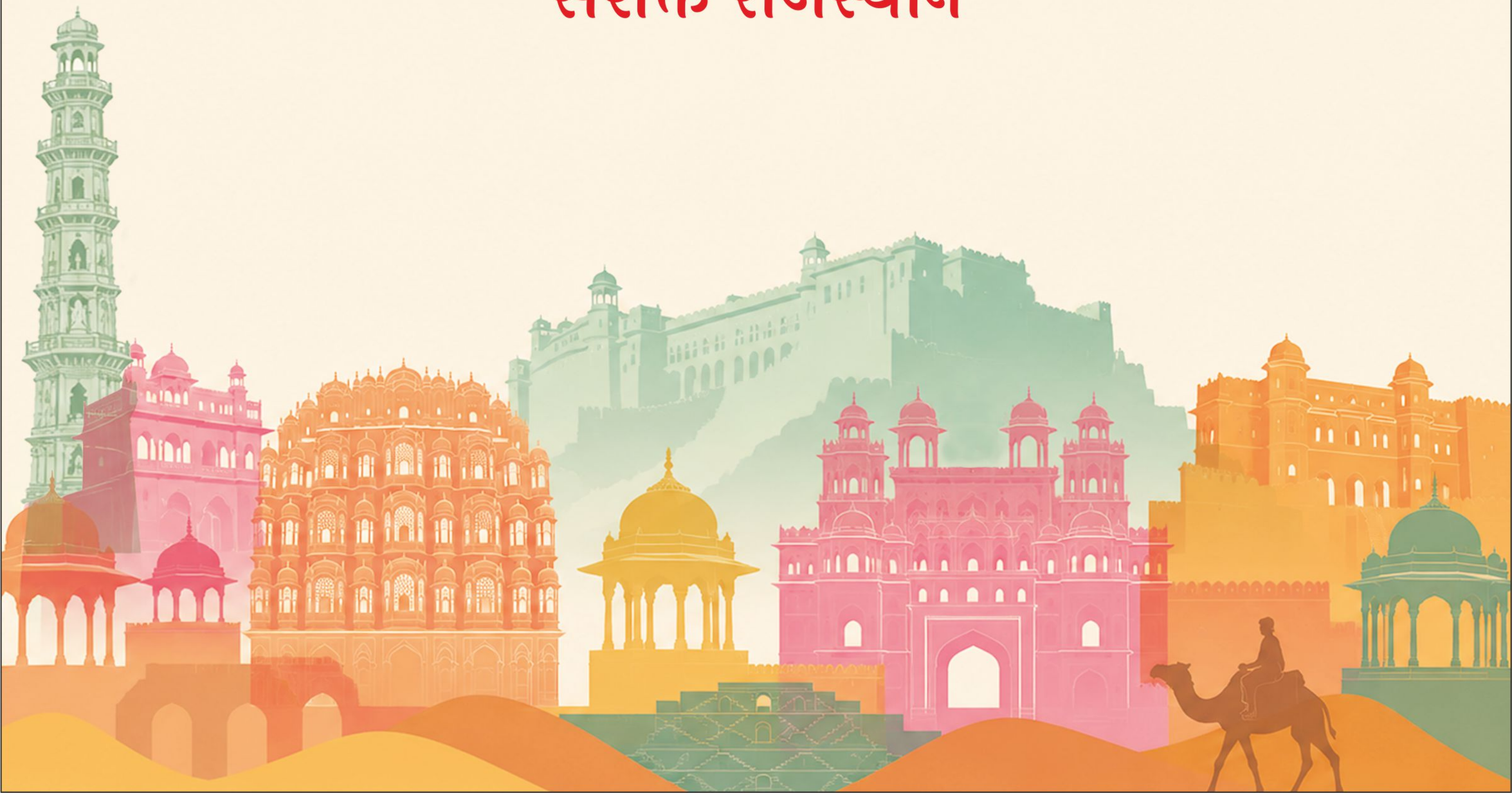

प्रवासी राजस्थानियों हेतु राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कदम

1. प्रवासियों हेतु विशेष विभाग का गठन

प्रवासी राजस्थानियों के मुद्दों को बेहतर रूप से संबोधित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए एक पृथक विभाग- 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग' (Department of Domestic and Overseas Rajasthani Affairs-DORA) का गठन किया गया है। राजस्थान फाउण्डेशन इस नवीन विभाग DORA का एक उपक्रम है।

राजस्थान फाउण्डेशन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़े रखने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से प्रवासी बंधुओं को एक सूत्र में पिरोए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

2. नॉन-रेजीडेन्ट राजस्थानी (एनआरआर) पॉलिसी 2025

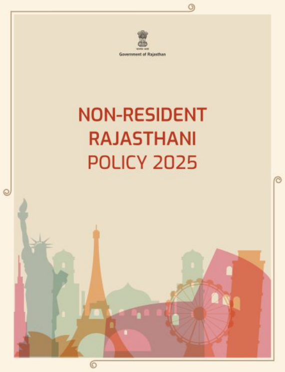

प्रवासियों के लिए गठित नए विभाग को दिशा निर्देश देने, राज्य के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं प्रवासियों के मुद्दों को समयबद्ध रूप से संबोधित करने हेतु प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 (NRR Policy 2025) अधिसूचित की गई है। यह नीति प्रमुख रूप से 5 Pillars (ABCDE) यथा – Accelerate (Investment), Bridge (Distance), Celebrate (Rajasthani Culture and Diaspora Achievements & Contributions), Drive (Diaspora for Socio-economic Development), Ensure (Grievance Redressal and Support Mechanism) पर आधारित है।

Scan for Policy

3. देश-विदेश में स्थापित राजस्थान फाउण्डेशन के चैप्टर्स

प्रवासी राजस्थानियों से नियमित संवाद स्थापित करने एवं राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश-विदेश में राजस्थान फाउण्डेशन के 40 चैप्टर्स को क्रियाशील किया गया है।

	अन्तर्राष्ट्रीय चैप्टर्स	राष्ट्रीय चैप्टर्स
1.	म्यूनिख, जर्मनी	दिल्ली
2.	नैरोबी, केन्या	रांची, झारखण्ड
3.	दुबई, यूएई	गुवाहाटी, असम
4.	सिंगापुर	पुणे, महाराष्ट्र
5.	दोहा, कतर	भुवनेश्वर, उड़ीसा
6.	टोक्यो, जापान	मुम्बई, महाराष्ट्र
7.	रियाद, सउदी अरब	चेन्नई, तमिलनाडु
8.	मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया	अहमदाबाद, गुजरात
9.	कम्पाला, युगान्डा	सूरत, गुजरात
10.	काठमान्डू, नेपाल	बेंगलुरु, कर्नाटक
11.	लन्दन, यूके	हैदराबाद, तेलंगाना
12.	न्यूयॉर्क, यूएसए	इन्दौर, मध्य प्रदेश
13.	जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
14.	मनामा, बहरीन	कोयम्बटूर, तमिलनाडु
15.	कुवैत सिटी, कुवैत	लुधियाना, पंजाब
16.	मस्कट, ओमान	फरीदाबाद, हरियाणा
17.	कुआलालंपुर, मलेशिया	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
18.	बैंकॉक, थाईलैंड	गंगटोक, सिक्किम
19.	हांगकांग	तिरूवनंतपुरम, केरलम
20.	ऑकलैंड, न्यूजीलैंड	
21.	टोरंटो, कनाडा	

4. प्रवासी राजस्थानी दिवस

राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2024 में जयपुर में आयोजित 'राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट 2024' के दौरान की गई घोषणानुसार प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इसी कड़ी में 10 दिसम्बर 2025 को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 4000 प्रवासी राजस्थानियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

5. प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्डस

प्रवासियों की उपलब्धियों एवं राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्डस (PRSA) दिया जाना प्रारम्भ किया गया है। इस अवार्ड में रू 2.00 लाख का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं। 10 दिसम्बर, 2025 को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर चयनित प्रवासी राजस्थानियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे भी यह परम्परा जारी रहेगी।

6. राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल

प्रवासी राजस्थानियों द्वारा समय-समय पर राजस्थान में उनके जिले/शहर/गाँव में सामाजिक परोपकार के कार्य किये जाते हैं। इन्हें व्यवस्थित रूप देने, योगदान को सुलभ बनाने एवं राज्य सरकार द्वारा इसका श्रेय आपको दिया जा सके, इसके लिए Rajasthan Development Support Portal (https://development-support.rajasthan.gov.in) का शुभारम्भ किया गया है। इस पोर्टल पर आधारभूत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं अन्य क्षेत्रों में जिलेवार आवश्यकता, मय अनुमानित राशि दर्शाई गई है। आप योगदान हेतु अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी क्षेत्र, जिला, शहर, गाँव एवं सम्पूर्ण एवं आंशिक सहयोग राशि का चयन कर सकते हैं। पोर्टल पर दिए गए कार्यों के अतिरिक्त भी आप Make Your Intent के माध्यम से अपनी इच्छानुसार कोई सामाजिक कार्य करवा सकते हैं। सभी कार्य आप स्वयं की एजेंसी से अथवा सम्बंधित विभाग की जिला स्तरीय एजेंसी से करवा सकते हैं। पोर्टल पर योगदान राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि कोई सहयोगकर्ता अपना इंटेंट उक्त पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से उस इंटेंट को संबंधित विभाग के समन्वय से उचित दिशा प्रदान की जा सकेगी। आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों को उक्त पोर्टल के माध्यम से अधिकतम सामाजिक सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

7. निवेश सहायता प्रकोष्ठ

प्रवासी राजस्थानी नीति के Pillar-'Accelerate' के तहत राज्य में प्रवासियों के निवेश को गति देने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन में एक NRR Investment Facilitation Cell का गठन किया गया है जो उद्योग विभाग के Rajnivesh पोर्टल (https://rajnivesh.rajasthan.gov.in) पर निवेशकों द्वारा किये जाने वाले MoUs के सम्बन्ध मे प्रवासियों का सहयोग करता है और संबंधित विभागों से उनका समन्वय कराता है।

8. जिला प्रवासी प्रकोष्ठ

प्रवासी राजस्थानियों के राज्य में मुद्दों के निवारण एवं उनसे नियमित संवाद स्थापित करने हेतु राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके लिये SOP (Standard Operating Procedure) जारी की गई है। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रवासियों के लिये सिंगल पाइंट कॉन्टैक्ट के रूप में नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनके संपर्क नम्बर एवं मेल आईडी राजस्थान फाउण्डेशन की वेबसाईट (www.foundation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध हैं। प्रवासी अपनी समस्याओं को राजस्थान सरकार के समस्या समाधान पोर्टल 'संपर्क पोर्टल' (sampark.rajasthan.gov.in) पर दर्ज कर सकतें हैं। इस पोर्टल पर समयबद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जिला प्रवासी प्रकोष्ठ, जिला नोडल अधिकारी अथवा राजस्थान फाउंडेशन की मेल आई डी rajfound-rj@nic.in पर भी समस्या का विवरण प्रेषित कर सकते हैं।

9. राजस्थान फाउण्डेशन की सदस्यता

प्रवासी राजस्थानियों एवं प्रवासी एसोसियेशन्स के लिए राजस्थान फाउण्डेशन के वेब पोर्टल पर Interact & Connect सेक्शन में प्रवासियों हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। यह रजिस्ट्रेशन की एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जा रहे नवाचारों, गतिविधियों एवं आयोजनों के बारे में प्रवासियों को अवगत करवाना है जिससे कि वे राज्य के विकास एवं गतिविधियों में भागीदार बन सकें। प्रवासी राजस्थानियों का सही डेटा प्रवासी राजस्थानी विभाग के पास होने से सभी के लिए हितकारी होगा। किसी आपदा के समय अथवा आवश्यकता होने पर, आपका राज्य के साथ सम्पर्क त्वरित एवं सरल हो पाएगा।

अतः शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान फाउण्डेशन की सदस्यता हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करें।

Scan for Registration

NRR

Association

10. सोशल मीडिया

राजस्थान फाउण्डेशन के वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स सक्रिय हैं जिन पर नियमित रूप से राज्य, राजस्थान फाउण्डेशन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय से संबंधित गतिविधियों को पोस्ट/स्टोरी के रूप में साझा किया जाता है।

I. Facebook – RajasthanFoundationRF

II. Instagram – rajfound_rj

III. Youtube – RajsthanFoundation

IV. Twitter (X) – Rajfound

V. LinkedIn – Rajasthanfoundation

अतः आप राजस्थान फाउण्डेशन के कम से कम एक सोशल मीडिया हैंडल को अवश्य फॉलो करें जिससे कि आप भी राजस्थान फाउण्डेशन एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए की जा रही गतिविधियों एवं अन्य नवाचारों से अवगत हो सकें।

11. नॉलेज सीरीज

सभी सेक्टर्स में सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'Knowledge Series' प्रारंभ की गई है। इस एक घंटे के सेशन में सम्बंधित विभाग द्वारा Presentation दी जाती है, जिसके उपरांत प्रश्नोत्तर (Q&A) सत्र आयोजित किया जाता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक निम्नलिखित विषयों पर वर्चुअल सत्र आयोजित किए जा चुके हैं:

1. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 एवं Rajasthan AVGC & XR पॉलिसी- 2024 पर प्रवासियों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया और इन पॉलिसीज के लाभों व प्रावधानों से प्रवासियों को अवगत कराया गया।
2. बी.आई.पी. के सहयोग से RIPS-2024 पर प्रवासियों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से AI/ML पॉलिसी-2026 पर प्रवासियों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया।
4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) के सहयोग से Direct Land Allotment Policy (DLAP) पॉलिसी-2026 पर प्रवासियों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया।

राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू निवेश-अनुकूल नीतियों को यहां दिए गए dynamic QR code के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। विभागों द्वारा समय समय पर उक्त नीतियों में किये गए परिवर्तन (अद्यतन) भी इस QR कोड में स्वतः ही अपडेट होते हैं।

Scan for Policies

12. राजस्थान फाउण्डेशन के प्रकाशन

1. न्यूज लैटर

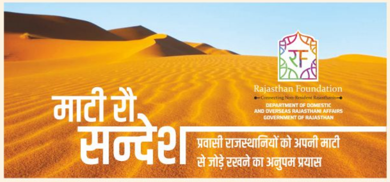

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा त्रैमासिक पत्रिका "माटी रौ सन्देश" प्रकाशित किया जाता है जिसमें राजस्थान फाउण्डेशन एवं प्रवासियों की गतिविधियों के अतिरिक्त प्रवासियों द्वारा भेजी गई कविताएँ, लेख, कला तथा उनके द्वारा किए गए योगदान इत्यादि प्रकाशित किये जाते हैं। इस हेतु आप अपनी प्रविष्टियां rajfound-rj@nic.in पर भेज सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान फाउण्डेशन के सभी प्रकाशनों की डिजिटल कापी भी पोर्टल व प्रवासी WhatsApp groups पर शेयर की जाती है।

2. कॉफी टेबल बुक

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा विगत एक वर्ष में प्रवासी राजस्थानियों के लिए 2 कॉफी टेबल बुक 'विरासत से विकास तक' एवं 'विरासत भी विकास भी' का प्रकाशन किया जा चुका है। इन कॉफी टेबल बुक के प्रकाशन का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों एवं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में दिए गए योगदान को प्रदर्शित करना है। तीसरी कॉफी टेबल बुक भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि किसी कार्यक्षेत्र में आपकी कोई विशेष उपलब्धियां हैं अथवा आपने राजस्थान के सामाजिक-आर्थिक विकास में कोई उल्लेखनीय योगदान दिया है तो आप इसका विवरण लेख के रूप में राजस्थान फाउण्डेशन की ई-मेल rajfound-rj@nic.in पर भेज सकते हैं।

13. लाइव कवरेज (राजस्थानी त्यौहारों का वर्चुअल प्रसारण)

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे मकर सक्रान्ति पर पंतग महोत्सव, तीज एवं गणगौर सवारी, आदि का पर्यटन विभाग के सहयोग से लाईव कवरेज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है जिससे कि प्रवासी राजस्थानी अपनी माटी से दूर रहकर भी यहां के त्यौहारों का आनन्द उठा सकें।

STAY CONNECTED

RajasthanFoundationRF

rajfound_rj

RajFound

RajasthanFoundation

RajasthanFoundation

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग

निवेश भवन, तृतीय तल, उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर-302005, राजस्थान (भारत)

फोन : 91-141-2222671 ई-मेल : dora@rajasthan.gov.in

Rajasthan Foundation

Connecting Non-Resident Rajasthanis

राजस्थान फाउंडेशन

जी-29, योजना भवन, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005, राजस्थान (भारत)

फोन : 91-141-2229111, 2229091, 2222671 ई-मेल : rajfound-rj@nic.in

वेबसाइट : www.foundation.rajasthan.gov.in

Publication: July 2026